

11/1/17

पक्षकारण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित। उन्हें
आवाज इजलास के इठके तक लगावाई गई कोई उपस्थित
नहीं था। फलतः प्रकरण अदक पैरवी के अंतर्गत एजिरी में
खारिज किया जाता है। मिसल फौजल शुमार होकर
नम्बर के अंतर्गत वाफ इफ्तार दायित्व है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

